9/9/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। सी.डी.सी.अन्य कार्य में व्यस्त/ दौरे पर/ अवकाश पर/ है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/10/24 को पेश हो।

18.10.24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। पत्रावली अंतिम तर्क बहसी के लिए 19.11.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.)
सीकर

19/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। वकील वादी प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 की बहसी हेतु रोस्टर मामला बलवाया पेश हुए। वकील प्रतिवादी के पक्ष आकर पेशकार के लिए मामला चाहा। पत्रावली कुछ पक्ष आकर बहसी दिनांक 22/11/24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

22/11/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। वादी की ओर से एडवोकेट प्रकाशचन्द पारीक ने बहस प्रस्तुत पेश किया। वकील वादी के प्रतिवादी सं. 1 से 5 व 7 की बहसी हेतु मामला बलवाया पेश किया। बहसी पाने की आई। पत्रावली कुछ पक्ष आकर बहसी दिनांक 16/12/2024 को पेश हो।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

वकील आगे नहीं चलाना चाहते हैं
प्रिया 16/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उप.। वादीगणों की माता प्रिया स्वयं उपस्थित। पहचान के रूप में आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की। प्रकरण के संबंध में निवेदन किया कि वादी अब नहीं चलाना चाहते हैं अतः वादीगण की संतुष्टि माता प्रिया के अनुरोध पर दावा वादीगण नोट शीट में लिखित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही अग्रिम अमल हो। निर्णय आज दिनांक 16/12/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner